



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध नशीले/मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तगण 1.अरविन्द पुत्र बबलू निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा सहारनपुर के कब्जे से 130 ग्राम अवैध चरस तथा अभियुक्त 2.सुनील उर्फ काली पुत्र जगदीश निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा सहारनपुर को 120 ग्राम अवैध चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 118/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना सरसावा के हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनो मिलकर बाहर से कम कीमत पर अवैध चरस लाते हैं और सरसावा के आसपास के क्षेत्र में ज्यादा दामों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं आज भी हम चरस बेचने के लिये ग्राहक का इन्तजार कर रहा थे कि तभी पुलिस ने हमे अवैध चरस के साथ के साथ पकड लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

अरविन्द पुत्र बबलू निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा सहारनपुर
सुनील उर्फ काली पुत्र जगदीश निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा

अभियुक्त अरविन्द का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 263/15 धारा 379/411 भादवी0 थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0स0 265/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु0अ0स0 266/15 धारा 414/411 भादवी0 थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0स0 262/16 धारा 379/411 भादवी0 थाना सरसावा सहारनपुर
5. मु0अ0स0 118/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट सरसावा सहारनपुर
6. मु0अ0स0 253/16 धारा 379/411 चालानी थाना सरसावा सहारनपुर
7. मु0अ0स0 332/16 धारा 2/3 मैगस्टर एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर

अभियुक्त सुनील उर्फ काली का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 247/21 धारा 63 आबकारी अधि० 272/273 भादवी थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0स0 60/23 धारा 380/411 थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु0अ0स0 61/23 धारा 414/411 भादवी0 44/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0स0 82/23 धारा 380/411 भाववी थाना नकुड़ सहारनपुर
5. मु0अ0स0 263/23 धारा 8/20 NDPS Act थाना सरसावा सहारनपुर
6. मु0अ0स0 118/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 2312 राजू थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. हो०गा0 1872 सुरेन्द्र थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए "नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त" को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12/05/24 को वादी ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी की नाबालिग पुत्री (उम्र करीब 04 वर्ष) के साथ समीर पुत्र साजिद निवासी गाँव लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ने अगवा कर दुष्कर्म की घटना कारित की है उक्त सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर पर मु0अ0सं0-183/24 धारा 363,376 भादवि 5K/5M/6 पोक्सो अधिनियम बनाम समीर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13/05/24 को उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त **समीर पुत्र साजिद निवासी ग्राम लखनौती थाना गंगोह सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम लखनौती से बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही से अपहर्ता/पीडिता को ग्राम लखनौती के जंगल से बिल्ला के ईंख के खेत से बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

समीर पुत्र साजिद निवासी ग्राम लखनौती थाना गंगोह सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- (1) मु0अ0सं0- 182/23 धारा 323/377/506 भा.द.वि व 5 / 6 पोक्सो अधिनियम चालानी थाना गंगोह, सहारनपुर
- (2) मु0अ0सं0- 183/24 धारा 363,376 भा.द व 5K,5M/6 पोक्सो अधिनियम चालानी थाना गंगोह, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- (1) निरीक्षक उम्मेद कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (2) उ0नि0 राजकुमार गौतम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (3) उ0नि0 दिनेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (4) म0उ0नि0 सिमरन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (5) है0कां0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (6) कां0 688 प्रवीण कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (7) म0कां0 836 अनिता थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा सामुहिक दुष्कर्म के 03 वांछित अभियुक्तों को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 11.05.2024 को वादिया ने थाने पर उपस्थित आकर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 07.05.2024 को तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म किया गया है। तहरीर के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 236/24 धारा 376 डी भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द पुलिस के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण **1. अभिजीत पुत्र सौराज 2. योगेश पुत्र शीतल 3. शेखर पुत्र श्याम निवासीगण ग्राम हासिमपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को आज दिनांक 13.05.2024 को मंगलौर अड्डे से गिरफ्तार किया गया। तथा विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. अभिजीत पुत्र सौराज निवासी ग्राम हासिमपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. योगेश पुत्र शीतल निवासी ग्राम हासिमपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. शेखर पुत्र श्याम निवासी ग्राम हासिमपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 अजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 संजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
3. हे0का0 698 संदीप भाटी तोमर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
4. हे0का0 902 गोविन्द कुमारथाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय
न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-08 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष
का कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है, कि दिनांक 25.09.2015 को वादी उ0नि0 गोविन्द पल्लव शर्मा थाना नागल जनपद सहारनपुर के द्वारा अभियुक्त मुकेश पुत्र हुक्म सिंह निवासी जौला डिडोली थाना नागल सहारनपुर के कब्जे से 10 लीटर शराब खाम 02 लीटर रेक्टिफाइड ओर 10 पच्चे खाली 180 अम्ल वाले व 10 होलो ग्राम 10 रेफर व 10 कैप्लूस ढक्कन बरामद होने की सूचना पर मु0अ0सं0 265/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 420, 255 भादवि थाना नागल पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 290/2016 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-08 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-08 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 09.05.2024 को अभियुक्त मुकेश पुत्र हुक्म सिंह को मु0अ0सं0 265/2015 धारा 60 आबकारी अधि0 व 420, 255 भादवि का दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कारावास 45 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री विक्रम सिंह
विवेचक उनि0 श्यामलाल सिंह
पैरोकार का0 1860 दुष्यन्त कुमार थाना नागल सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात,सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 शातिर गौकश गिरफ्तार, कब्जे से 01 जिंदा गौवंश ,गोकशी करने के उपकरण, 02 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी बरामद

बरामदगी-

- 01 लकड़ी का गुटका
- 02 दाब
- 02 छुरे
- 02 रस्सी
- 04 प्लास्टिक के कट्टे व काली पन्नी
- 02 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी
- 01 जिंदा गौवंश

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, गोकशी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा ग्राम देवला के पास से जाने वाले कच्चे रास्ते पर कालिया के आम के बाग में 04 शातिर गोकशों 1. सलमान पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम मढ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 2.शादाब उर्फ शाबाज पुत्र अब्दुल शकूर निवासी खान आलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर हाल निवासी ग्राम देवला थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 3. सलमान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम देवला थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 4. बिलाल पुत्र वहीद निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से गोकशी करने के उपकरण जिसमें 01लकड़ी का गुटका ,02 दाब ,02 छुरे ,04 प्लास्टिक के कट्टे व काली पन्नी, 01 जिंदा गौवंश 02 मोटर साइकिल जिनका रजिस्ट्रेशन नं0 1. UP 11 CC 4602 हीरो स्पलेन्डर (रंग काला) 2. UP 11 AN 4810 (हीरो स्पलेन्डर प्रो) व 01 स्कूटी एक्टिवा (रंग काला) UP 11 CF 6027 बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0- 196/24 धारा 3/5क/8 गोवध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सलमान पुत्र सत्तार उपरोक्त ने बताया कि मैं बी0ए0 तक पढा लिखा हूँ व सेल परवेश का कार्य करता हूँ। अन्य तीन गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि हम कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम सभी लोग जंगल में घूम रहे अवारा गौवंशो को पकड़कर गोकशी करते है और

इससे हुए मुनाफे का आपस में बाट लेते हैं। कल दिनांक 12.05.2024 की रात्रि को ग्राम देवला के जंगल में हम गोकशी करने जा रहे थे तभी पुलिस टीम द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. सलमान पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम मढ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
2. शादाब उर्फ शाबाज पुत्र अब्दुल शकूर निवासी खान आलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर हाल पता ग्राम देवला थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. सलमान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम देवला थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. बिलाल पुत्र वहीद निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 लकड़ी का गुटका
- 02 दाब
- 02 छुरे
- 02 रस्सी
- 01 जिंदा गौवंश
- 04 प्लास्टिक के कट्टे व काली पन्नी
- 02 मोटर साईकिल व 01 स्कूटी

अभियुक्त सलमान का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 523/21 धारा 323/452/504/506 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारपुर।

अभियुक्त शादाब का आपराधिक इतिहास -

- मु0अ0स0 119/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0स0 193/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
- मु0अ0स0 821/19 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
- मु0अ0स0 02/20 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 दीपचन्द यादव थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
2. उ0नि0 सुनील यादव थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
3. उ0नि0 संजय शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
4. है0का0 843 विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
5. है0का0 839 कपिल राणा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर

6. का0 1410 मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर

7.का0 1551 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 13.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू

नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.05.2024 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **साजिद पुत्र मंजूर निवासी ग्राम सुचेला देवा थाना चिलकाना सहारनपुर** को अब्दुल्लापुर अहाडी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 112/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि साहब मैं कम पढा लिखा हूँ जो नाजायज चाकू पुलिस टीम द्वारा आज मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं आस पास के क्षेत्रों के लोगो को डराने धमकाने व अपनी सुरक्षा के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अभियुक्त साजिद पुत्र मंजूर निवासी ग्राम सुचेला देवा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी-

01 चाकू नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 विजय सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 13.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23.12.2023 को वादिया ने एक लिखित प्रार्थाना पत्र बाबत अभियुक्तगण 1.रविन्द्र कुमार पुत्र मुखराम 2.श्रीमति संसारी पत्नि मुखराम 03. रोबिन पुत्र मुखराम 04. सोनम पुत्री मुखराम निवासीगण ग्राम ध्याना, थाना देवबन्द सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को प्रताड़ित कर छेड़छाड़ करना, मारपीट व गालीगलौच करने के संबंध में मु0अ0स0 197/2023 धारा 498ए/323/504/354/354ख भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त **रोबिन पुत्र मुखराम निवासी ग्राम ध्याना थाना देवबन्द सहारनपुर** को कस्बा सुल्तानपुर गुमटी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अभियुक्त रोबिन पुत्र मुखराम निवासी ग्राम ध्याना थाना देवबन्द सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 विजय सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर ।
2. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीष एडीजे-04 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है, कि दिनांक **08.12.2024** को वादिया श्रीमती कविता पत्नी शिवकुमार निवासी उमाही कला थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर के पति को अभियुक्त छोटू पुत्र ऋषिपाल निवासी उमाही कला थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा फावडे से काटकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0सं0 **385/2021** धारा **302** भादवि थाना रामपुर मनिहारन पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 **720/2022** पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-04 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-04 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक **13.05.2024** को अभियुक्त छोटू पुत्र ऋषिपाल मु0अ0सं0 385/2021 धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री राकेश सहल

विवेचक निरीक्षक जसवीर सिंह

पैरोकार हे0का0 427 अनुज कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।